सर्टिफिकेट पिम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

मॉड्यूल 3- जल उपभोक्ता समितियों का गठन

विषय 3.2 सामाजिक गतिशीलता (कम्यूनिटी मोबिलाइजेशन) का महत्व

विषय-3.2

सामाजिक गतिशीलता (कम्यूनिटी मोबिलाइजेशन) का महत्व

मॉड्यूल-3 के विषय

3.1 जल उपभोक्ता समितियों के गठन का उद्देश्य

3.2 सामाजिक गतिशीलता (कम्यूनिटी मोबिलाइजेशन) का महत्व

3.3 जल उपभोक्ता समितियों का गठन

3.4 जल उपभोक्ता समितियों का पंजीकरण

1. जल उपयोगकर्ता संघ के गठन के लिए सामुदायिक मोबलाइजेशन का महत्व:

सामुदायिक मोबलाइजेशन किसानों के बीच जागरूकता पैदा करने और उन्हें एक विशिष्ट कार्य करने के लिए एकजुट करने की प्रक्रिया है। किसी भी सिंचाई परियोजना के कमांड क्षेत्र में किसानों को सिंचाई प्रणाली के प्रबंधन के लिए संगठित करने, कृषि के लिए अपेक्षित लाभ प्राप्त करने के लिए, जल प्रबंधन करने

के लिए एसे अपनाया जा सकता है। इस प्रक्रिया में, जल उपयोगकर्ता संघ को उच्च मूल्य वाली फसलों को उगाने और कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए अपने सदस्यों के बीच पर्याप्त मात्रा और समय में पानी के किफायती, न्यायपूर्ण और समान वितरण की संभावनाओं का प्रदर्शन करने की उम्मीद है। हालाँकि किसानों की भागीदारी फिर से निम्नलिखित परिस्थितियों के अधीन है:

- जिन क्षेत्रों में किसान सामाजिक रूप से जागरूक और आर्थिक रूप से बेहतर हैं और समय पर पर्याप्त मात्रा में पानी प्राप्त कर रहे हैं, उनकी सक्रिय भागीदारी की प्रवृत्ति कम है। यहां जल संसाधन विभाग को उनके निष्क्रिय स्थितियों के कारण उन्हें जुटाने के लिए अधिक प्रयासों की आवश्यकता है।
- जिन क्षेत्रों में किसान प्रगतिशील, सामाजिक रूप से जागरूक और आर्थिक रूप से बेहतर हैं और उन्हें पर्याप्त मात्रा और समय पर पानी नहीं मिल रहा है जिसके परिणामस्वरूप फसलों में कम उपज से नुकसान होता है, वहां किसान की भागीदारी सक्रिय और निरंतर है। यहां जल संसाधन विभाग को किसान सक्रिय बनाने के लिए समुदाय को जुटाने के लिए बहुत कम प्रयासों की आवश्यकता होती है।
- जिन क्षेत्रों में किसान सामाजिक और आर्थिक रूप से जागरूक हैं, जहां पानी की उपलब्धता अच्छी है, किसान अपनी पसंद की फसल उगाने के लिए खुद पानी के लिए तरसते हैं; उनकी भागीदारी जल्दी विकसित होती है और निरंतर बनी रहती है। यहां जल संसाधन विभाग को लगभग किसी भी प्रयास की आवश्यकता नहीं है क्योंकि किसान अपनी इच्छाओं के प्रति ग्रहणशील और जागरूक हैं।

सिंचाई प्रबंधन के लिए किसानों के संगठनों का गठन उपरोक्त तीनों स्थितियों में संभव है। इस संबंध में क्षेत्र की पहचान और चयन अनिवार्य हो जाता है। पीआईएम अधिनियम में जल उपयोगकर्ता संघ बनाएं व उसे पंजीकृत करे।

याद रखें: सामुदायिक लामबंदी किसानों के बीच जागरूकता पैदा करने और उन्हें WUAs बनाने की एक प्रक्रिया है।

2. सामुदायिक मोबलाइजेशन के लाभ (पीआईएम के लिए विशिष्ट):

1. पीआईएम के बारे में अधिक जागरूकता और किसानों के बीच पीआईएम कार्यक्रम की अधिक से अधिक स्वीकृति प्रदान करता है।

2. अधिक से अधिक भागीदारी का आधार प्रभावी और टिकाऊ जल उपयोगकर्ता संघ के गठन की अनुमति देता है।

3. प्रबंध समिति के चुनाव में निष्पक्ष, पारदर्शी और सही नेतृत्व को बढ़ावा दिया जाता है।

4. सतत विकास के लिए सामूहिक प्रयास को बढ़ावा देता है।

इस क्षेत्र में काम करने वाले स्वयंसेवी संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों और संस्थानों द्वारा पीआईएम के लिए सामुदायिक मोबलाइजेशन सबसे अच्छा किया जा सकता है।

हालांकि, यह डब्ल्यूआरडी के क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा भी किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में, डब्ल्यूआरडी के कर्मचारियों और गैर सरकारी संगठनों ने सामुदायिक
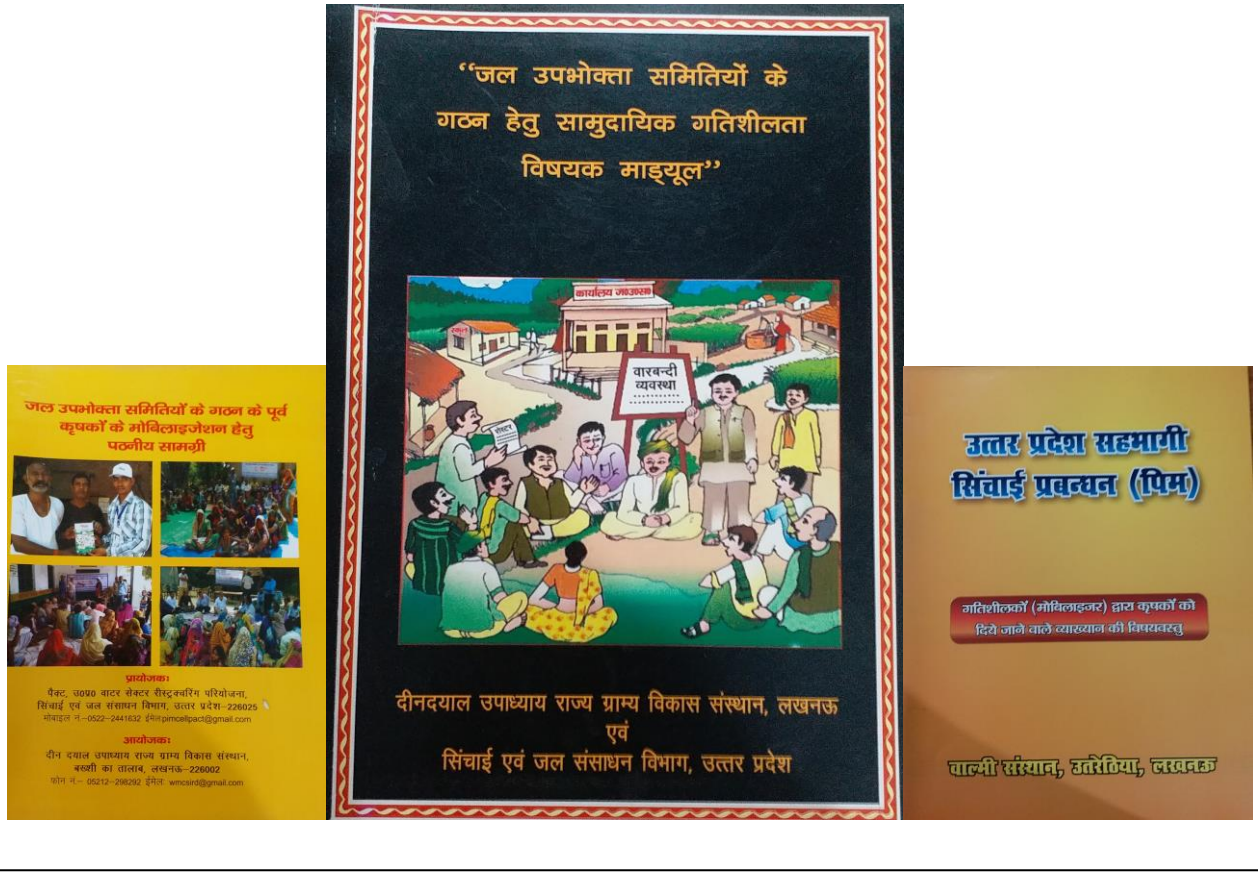
मोबलाइजेशन की प्रक्रिया को मानक संचालन प्रक्रियाओं और संबद्ध साहित्य के माध्यम से काफी मानकीकृत किया गया है । इसमें से कुछ साहित्य की बानगी नीचे दी गई है: